न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
117/2015	25/06/2015	30/1/26

धन्नालाल आत्मज धूलीलाल, जाति मीणा, मृतक कायम मुकाम
1/1 रामप्रसाद वल्द धन्नालाल जाति मीणा, निवासी ग्राम रनौदिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज०)
1/2 कालूलाल वल्द धन्नालाल जाति मीणा, निवासी ग्राम रनौदिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज०)
1/3 हरिप्रकाश वल्द धन्नालाल जाति मीणा, निवासी ग्राम रनौदिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज०)
1/4 जगमोहन वल्द धन्नालाल जाति मीणा, निवासी ग्राम रनौदिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज०)

प्रार्थी

–बनाम–

1. ओमप्रकाश वल्द कन्हैयालाल, जाति मीणा,
2. शातिबाई पत्नि मदनलाल, जाति मीणा, निवासीगण ग्राम रनादिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर कोटा जरिये तहसीलदार जिला कोटा (राज०)

प्रतिपक्षीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रहलाद आर्य एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०लेण्ड रवैन्यू एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम रनोदिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में प्रार्थी की खातेदारी व काश्त की आराजी पुराने ख0नं0 हाल सेटलमेंट से पूर्व के ख0नं0 819 की नाम खेत डोली रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा आराजी प्रथम की भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2041 में नवीन ख0नं0 1197 की रकबा 0.45है0, ख0नं0 1204 की रकबा 0.72है0 व ख0नं0 1205 रकबा 0.80है0 कुल तीन किता की रकबा 1.97है0 डालकर उपरोक्त भूमि को प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। सेटलमेंट विभाग द्वारा संवत 2041–60 में किये गये सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी का रकबा पूर्व रकबे से 0.14है0 अर्थात 16 बिस्वा भूमि कर दी गई है। जिसको की कम करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी का कम किया गया रकबा 0.14है0 का सेटलमेंट विभाग द्वारा समीपवर्ती ख0नं0 1206 व 1207 में मिला दिया गया है। जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है। सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार से एक खातेदार की भूमि को कम करके दूसरे खातेदार की भूमि में मिलाकर उसका रकबा बढाने का कोई कानूनी अधिकार प्रापत नहीं है। जबकि प्रार्थी की भूमि 16 बिस्वा यानि 0.14है0 कम कर सेटलमेंट विभाग ने रिकॉर्ड के मुताबिक नवीन हाल ख0नं0 1206 व 1207 में मिला कर पूर्व रकबे से अधिक रकबा बढाया जाना व नक्शा ट्रेस से भी पूर्व रकबे से अधिक नक्शा मिलान करने पर साफ जाहिर होता है। वर्तमान ख0नं0 1206 व 1207 पुराने ख0नं0 818 की 4 बीघा 6 बिस्वा थी का नया रकबा 1.38है0 दर्ज कर दिया गया जो कि पुराने रकबे से अधिक है। और इस प्रकार प्रार्थी की कम की गई भूमि को

प्रतिवादीगण की ख0नं0 1206 व 1207 में मिला दिया गया है जिसको प्रार्थी प्रतिवादीगण की खातेदारी से कम करवा कर अपना रकबा पूरा करवाने का अधिकारी है तथा प्रार्थी जिसके खाते में 1.97है0 दर्ज कर रखा है के स्थान पर प्रार्थी 2.11है0 भूमि पूर्ण रकबा करवाकर अपने खातेदारी में दर्ज करवाने व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने व नक्शा सही करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खाते की आराजी ख0नं0 1197 की 0.45है0, ख0नं0 1204 की 0.72है0, ख0नं0 1205 की 0.80है0, कुल किता 3 की 1.97है0 वाके माल रनोदिया तह0 पीपल्दा जो कि पूर्व रकबे से 0.14है0 कम है को प्रतिवादीगण की खाते की भूमि 1206 व 1207 में मिला दिया है में से 0.14है0 भूमि कम करके प्रार्थीगण के खाते में दर्ज करते हुए उसका रकबा 1.97है0 के स्थान पर 2.11है0 किया जाने का आदेश प्रदान कर समस्त राजस्व रिकॉड में व नक्शा में दुरूस्ती इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रहलाद आर्य ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 व 2 की ओर से नन्दकिशोर पारेता एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 1 व 2 ने जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित विषयवस्तु से संबंधित वाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय, कोटा मे सन् 1996 से विचाराधीन चला आ रहा है। उक्त वाद सन् 2002 में उपखण्ड अधिकारी का न्यायालय इटावा में स्थापित हो जाने पर न्यायालय श्रीमान इटावा मे स्थानान्तरित होकर आया था, जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा पूर्ण विचारण किया गया है, दोनों पक्षो को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर दिनांक 10–6–2010 को मेरिट पर अंतिम रूप से विनिश्चय किया गया तथा वादी द्वारा अपना कथन व पक्ष सिद्ध करने में विफल रहने पर वाद खारिज फरमाया गया है जिसकी खारिज की डिक्री भी न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित की गई है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10–6–2010 की अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की गई। उक्त अपील को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 10–4–2012 को मेरिट पर सुनवाई कर खारिज फरमा दिया गया जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा कही भी नही की गई है तथा पूर्व निर्णित वाद के तथ्यों को छिपाकर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया है जो कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित विषयवस्तु से वाद को पूर्व में मेरिट पर निर्णित किया जा चुका है, इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पूर्ण न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थी से हर्जाना 20,000/रु दिलाया जायें।

धन्नालाल प्रार्थी की मृत्यु दिनांक 11.03.2014 के पश्चात प्रार्थी के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लाने के लिए दिनांक 11.06.2014 को पेश किया जो स्वीकार किया जाकर दिनांक 07.04.2017 को संशोधित टाईटल पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2017 को अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी ने दिनांक 22.03.2018 को आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से धारा 11 व धारा 151 सीपीसी दिनांक 25.07.2013 को पेश कर कथन किया कि न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 10.06.2010 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विचाराधीनी वाद में सुनवाई कर अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा है तथा न्यायालय श्रीमान द्वारा मेरिट

पर दिनांक 10.06.2010 को निर्णय किया जा चुका है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2010 की अपील भी प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की गई। जिसका भी निर्णय दिनांक 10.04.2012 को अपील खारिज करते हुए न्यायालय श्रीमान के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2010 को बहाल रखते हुए पुष्ट किया है, किन्तु उक्त निर्णय की कोई भी अपील प्रार्थी द्वारा नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा न्यायिक प्रकिया के दुरूपयोग व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए प्रार्थी पर भारी हर्जाना आरोपित कर अप्रार्थीगण के क्षतिपूर्ति दिलाई जावे। प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 11 व 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि धन्नालाल द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में किया गया वाद हक घोषणा दिनांक 19.06.1996 को धन्नालाल बनाम राज0 सरकार पांचूलाल ओमप्रकाश, शांतिबाई उनवान का ख0नं0 319 मोजा ग्राम रनोदिया का है जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 ख0नं0 819 का है। ख0नं0 319 के आधार पर ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा व राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा क्रमशः दिनांक 10.06.200 मि0नं0 14/2000 व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मि0नं0 123/2010 दिनांक 10.04.2012 को निर्णित कर वाद व अपील अस्वीकार की गई है। न की ख0नं0 819 की। इस प्रकार पूर्व वाद में व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अलग–अलग ख0नं0 की आराजीयात होने से धारा 11 सीपीसी के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्तनीय योग्य है। मुताबिक जवाब सरकार मि0नं0 14/2000 धन्नालाल बनाम ओमप्रकाश वगै0 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा का निर्णय दिनांक 10.06.2010, मि0नं0 123/2010 धन्नालाल बनाम ओमप्रकाश वगै0 माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 10.04.2012 उपरोक्त दोनों निर्णय वादी के पूर्व में किये गये वाद से ही संबंधित है। जिसमें वादी का वाद खारिज किया गया है। चूंकि प्रकरण में पूर्व में दो बार माननीय न्यायालय से निर्णय पारित हो चुका है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम रनोदिया तह0 पीपल्दा स्थित ख0नं0 819 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा (पूर्व सेटलमेंट), पश्चात सेटलमेंट ख0नं0 1197 रकबा 0.45, ख0नं0 1204 रकबा 0.72है0, ख0नं0 1205 रकबा 0.80है0 पर वादी द्वारा वाद दिनांक 10.06.2010 को उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील राजस्व अपीलीय अधिकारी कोटा को की गई जिसका निर्णय दिनांक 10.04.2012 को किया जिसमें अपील खारिज की गई। प्रार्थी द्वारा समान पक्षकारों, समान विवादित भूमि तथा समान अनुतोष के आधार पर पुनः प्रार्थना पत्र दर्ज किया जिसमें विषयवस्तु प्रत्यक्षतः तथा सारतः वही है जो पूर्व में सस्थित वाद में थे। प्रार्थी द्वारा पूर्व में निर्णीत वाद खारिज होने के उपरांत इसे प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज किया गया है। यह स्पष्ट रूप से रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत से प्रभावित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 11 सीपीसी से बाधिक होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा